05/01/18 पत्रावली आज वकील वादी व वादी स्वयं के प्रार्थना पत्र पर पेशी तारीख पर ली गई। वादी मय वकील ने उप० होकर एक प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विड्रो करने बाबत पेश किया। वादी मय वकील ने निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः वाद विड्रो किया जावे।

न्यायहित में वादी मय वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। चूंकि पक्षकारों में राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी मय वकील वाद को विड्रो करना चाहते है। अतः वाद में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर वाद विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

क २०/१